न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), अम्बेडकर नगर

CNR NO. UPAN010047572026

Bail Application/786/2026

रामनेवास आयु लगभग 46 वर्ष पुत्र विरजा निवासी ग्राम तोनारी थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़।

————————————अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

————अभियोजन।

गैंगस्टर वाद सं0 46/2012
मुकदमा अपराध संख्या–881/2009
धाराः– 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट,
थाना– राजेसुल्तानपुर,
जनपद– अम्बेडकर नगर।

दिनांकः 08.06.2026

1. वर्तमान द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त रामनेवास द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी की उक्त मुकदमें में जमानत पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। दिनांक 29.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया है, प्रार्थी ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है गलती क्षमा योग्य है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है ड्राइवर का कार्य करके किसी तरह से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के परिवार में कोई अन्य सदस्य कमाने वाला नहीं है। प्रार्थी जमानत पर छूटने पर किसी प्रकार से अभियोजन को प्रभावित नही करेगा तथा प्रार्थी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। प्रार्थी मुकदमें के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। तद्नुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.08 16:42:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्राप्त जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

4. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है, अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.05.2023 को गरीबी के कारण रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गया था तथा कचेहरी न आने की सूचना अपने अधिवक्ता को नहीं दे सका। जिस कारण वारण्ट जारी हो गया था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विचारण में सहयोग किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त दण्ड मिल चुका है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में बिना गुण–दोष पर विचार किये अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रामनेवास का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रकरण में उसके द्वारा मु0 1,00,000/–रू0(एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र व समराशि की दो प्रतिभूगण दाखिल करने पर एवं निम्न शर्तो की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

2. जमानत का दुरूपयोग करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक 08.06.2026

(परविन्द कुमार)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
अम्बेडकर नगर,
I.D.No.UP01837